

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) प्रोटोकॉल

1. उद्देश्य

आईआईटी इंदौर सुरक्षा सेवाएँ आईआईटी इंदौर समुदाय की सुरक्षा और संस्थान की संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्रों में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाती हैं। इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य यह रेखांकित करना है कि सीसीटीवी का उपयोग कैसे किया जाएगा ताकि यह सभी मौजूदा कानूनों का अनुपालन करे और अपने घोषित उद्देश्य के अनुरूप हो।

2. दायरा

इस दस्तावेज़ में निर्धारित प्रोटोकॉल सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग के उपयोग में आईआईटी इंदौर समुदाय के सभी सदस्यों, आईआईटी इंदौर के स्कूलों और केंद्रों पर लागू होता है।

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वीडियो निगरानी इस दस्तावेज़ के लिए निर्धारित प्रावधानों के अधीन नहीं है:

I. जहां इसका उपयोग संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारियों के सदस्य की शिक्षण या अनुसंधान जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।

II. जहां इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जा रहा है।

3. प्रोटोकॉल

3.1 सीसीटीवी का उपयोग

3.1.1 आईआईटी इंदौर सुरक्षा सेवाएँ संस्थान की केंद्रीय सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करती हैं, जिसमें सुरक्षा कैमरा नेटवर्क शामिल है। इस प्रकार, यह सुरक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग को लागू करने, देखरेख करने और समन्वय करने के लिए अधिकृत एकमात्र सुरक्षा विभाग है। वीडियो कैमरों और निगरानी उपकरणों की खरीद और स्थापना को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, और सभी स्थापनाओं को समिति की ओर से संस्थान सुरक्षा और सुरक्षा समिति के संयोजक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

3.1.2 आईआईटी इंदौर सुरक्षा सेवाएँ व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाने, अपराध की जाँच में मदद करने और संस्थान की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) का उपयोग करती हैं। सीसीटीवी का उपयोग सभी मौजूदा कानूनों और संस्थान के मूल्यों के अनुरूप तरीके से किया जाएगा ताकि संकाय, कर्मचारियों, छात्रों और आगंतुकों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों में गोपनीयता के उल्लंघन को कम से कम किया जा सके। इसका उपयोग केवल वैध सुरक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. भवन परिधि, प्रवेश और निकास, लॉबी और गलियारे और प्रयोगशालाओं की निगरानी करना;
2. सड़कों, फुटपाथों, पार्किंग स्थलों, प्रांगणों और चौराहों की निगरानी करना;
3. इमारतों, गलियारों और अन्य क्षेत्रों के प्रवेश द्वारों पर प्रतिबंधित पहुँच वाले स्थानों की निगरानी करना;
6. गश्ती तकनीक के रूप में सीसीटीवी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी करना;

7. आपराधिक या सुरक्षा उल्लंघन जाँच के भाग के रूप में रिकॉर्ड की गई छवियों की समीक्षा करना; और

8. चल रही आपराधिक गतिविधि की संभावना वाले क्षेत्रों की निगरानी करना।

3.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र की वीडियो निगरानी केवल उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ जनता को गोपनीयता की उचित अपेक्षा नहीं है। कैमरों को निजी स्थानों, जैसे आवासीय अपार्टमेंट की खिड़कियों, शॉवर रूम, टॉयलेट स्टॉल या लॉकर रूम पर निर्देशित नहीं किया जाएगा।

3.1.4 छिपे हुए या गुप्त कैमरे तब तक नहीं लगाए जाएँगे जब तक कि आपराधिक जाँच के लिए साक्ष्य एकत्र करने की स्पष्ट आवश्यकता न हो। ऐसी स्थापनाएँ केवल जाँच के लिए निदेशक द्वारा अधिकृत की जाएँगी।

3.1.5 दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं की गोपनीयता के हित में, स्टैंडअलोन सीसीटीवी कैमरे वरिष्ठ संस्थान अधिकारियों जैसे निदेशक, उप द्वारा लगाए जा सकते हैं। निदेशक, डीन, रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार अपने कार्यालयों में।

3.1.6 सीसीटीवी का उपयोग कर्मचारी, सेवा प्रदाता या छात्र के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि कर्मचारी या छात्र का आचरण व्यवहार या लापरवाह व्यवहार का आपराधिक गठन करता है, जिससे दूसरों को खतरा हो।

3.1.7 सुरक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान समुदाय के सदस्य विभाग की वेबसाइट पर उचित साइनेज और सूचना के माध्यम से सीसीटीवी सिस्टम की उपस्थिति और उद्देश्य से अवगत हों।

3.1.8 सुरक्षा कैमरे सुरक्षा विभाग द्वारा केंद्रीकृत रूप से लगाए जाएँगे, जिसके लिए सभी विभागों/केंद्रों आदि से विभिन्न आवश्यकताएं ली जाएँगी। सुरक्षा विभाग द्वारा ऐसे अभियान के अलावा अन्य आवश्यकताओं के लिए, एसएससी की समिति की 17वीं बैठक के एजेंडा संख्या 17.3 के अनुसार स्थापना के प्रावधान लागू होंगे, जो इस प्रकार हैं:

i) यह चर्चा की गई कि सीसीटीवी कैमरे उन प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक हैं जिनमें किसी भी दुरुपयोग आदि की जाँच के लिए कई छात्रों द्वारा मशीनों/उपकरणों का संचालन होता है, यह सहमति हुई कि संकाय प्रयोगशाला प्रभारी के औचित्य, विभागीय सुरक्षा समिति के संयोजकों और विभागाध्यक्ष की सिफारिशों के साथ ऐसी प्रयोगशालाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी जा सकती है। चर्चा के बाद, संस्थान सुरक्षा और संरक्षा समिति (एसएससी) ने संस्थान सुरक्षा समिति के संयोजक को समिति की ओर से प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया, इस प्रावधान के साथ कि ऐसी अनुमतियों पर एसएससी की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ऐसे सीसीटीवी, केबल, स्विच और स्टोरेज के साथ एनवीआर की लागत विभाग/परियोजना द्वारा वहन की जाएगी, और लाइव फीड हब बिल्डिंग में सीसीटीवी के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयोगशाला के संकाय/कर्मचारियों को प्रयोगशाला में या संस्थान परिसर के बाहर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फीड केवल सुरक्षा और सुरक्षा समिति के संयोजक द्वारा अनुमोदन पर संबंधित संकाय प्रभारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ही प्रदान की जाएगी।

3.2 सीसीटीवी निगरानी

3.2.1 सुरक्षा दल द्वारा सीसीटीवी सिस्टम की निगरानी पेशेवर, नैतिक और कानूनी तरीके से की जाएगी, और उत्पीड़न और भेदभाव पर नीति और यौन हिंसा के खिलाफ पर नीति सहित सभी संस्थान नीतियों के अनुसार की जाएगी।

3.2.2 वीडियो निगरानी में शामिल कर्मियों को इस तकनीक के जिम्मेदार उपयोग में उचित रूप से प्रशिक्षित और निरंतर निगरानी की जाएगी।

3.2.3 कैमरों की निगरानी करने वाले कर्मियों को इस दस्तावेज़ और इसके तहत विकसित प्रक्रियाओं की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए और लिखित पावती प्रदान करनी चाहिए कि उन्होंने इसकी सामग्री को पढ़ और समझ लिया है।

3.2.5 कैमरों की निगरानी करने वाले कर्मचारी, कार्य करने में उपयोग की गई, प्राप्त की गई या उपयोग की गई विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का उपयोग, परिवर्तन या वितरण नहीं करेंगे, जो सीधे उनके कार्य उत्तरदायित्वों से संबंधित नहीं है।

3.2.6 इस दस्तावेज़ में संदर्भित वीडियो निगरानी के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.2.7 जहाँ उपयुक्त हो, सुरक्षा विभाग अन्य संस्थान अधिकारियों को लाइव देखने का अधिकार दे सकता है, जहाँ यह स्थानीय क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ये व्यक्ति सुरक्षा सेवा कर्मियों के समान प्रशिक्षण और आचरण के मानकों के अधीन होंगे। इस दस्तावेज़ में संदर्भित वीडियो निगरानी के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने पर उनके देखने के अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे।

3.3 रिकॉर्ड किए गए फ़ीड का उपयोग और वितरण

3.3.1 सुरक्षा विभाग के सीसीटीवी ऑपरेटर/पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि रिकॉर्ड किए गए फुटेज तक पहुँच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जाए और डेटा का सुरक्षित भंडारण किया जाए। रिकॉर्ड किए गए फुटेज को सीमित समय (आमतौर पर केवल पैंतालीस दिन) के लिए रखा जाएगा।

3.3.2 संभावित कदाचार या अवैध गतिविधि की जांच करने के लिए रिकॉर्ड की गई छवियों का उपयोग सीसीटीवी ऑपरेटरों/पर्यवेक्षकों या पुलिस के जांच अधिकारी या उनके प्रतिनिधि तक ही सीमित है।

3.3.3 आईटी अवसंरचना और सूचना कर्मियों को केवल विशेष मामलों में सीसीटीवी नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के प्रयोजनों के लिए रिकॉर्ड की गई छवियों को देखने की अनुमति है, सामान्य परिस्थितियों में मरम्मत और रखरखाव सुरक्षा विभाग की तकनीकी टीम द्वारा किया जाएगा।

3.3.4 सुरक्षा विभाग किसी अपराध की जांच के लिए आवश्यक किसी भी निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग सहित सूचना पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराएगा, इस संबंध में सीएसओ को फुटेज तक पहुँच प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। रजिस्ट्रार, सुरक्षा और सुरक्षा समिति, प्रशासन के डीन और संस्थान के निदेशक को सीएसओ द्वारा पुलिस अधिकारी/आईओ या उनके प्रतिनिधि को ऐसी फीड सौंपने के बारे में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए।

3.3.5 आईआईटीआई समुदाय के सदस्य और बाहरी एजेंसियों के प्रतिनिधि, जैसे कि परिसर में विक्रेता या अन्य एजेंसियाँ, रिकॉर्ड की गई फुटेज की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकती हैं। इन अनुरोधों को केस-दर-केस आधार पर मंजूरी दी जाएगी। ऐसी स्थितियाँ जहाँ फीड प्रदान की जा सकती हैं, उनमें से कुछ स्थितियाँ शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

1. विभागीय स्तर पर कोई भी छात्र संबंधी अनुशासनात्मक मामला;
2. दावों और मुकदमों से बचाव के लिए जोखिम प्रबंधन या कानूनी सेवाओं के लिए कर्मचारी अनुशासन या मध्यस्थता सुनवाई के मामलों में;

3. कर्मचारी, छात्र या उनके माता-पिता/संरक्षक जो कानूनी या परिसर अनुशासन/अर्ध-न्यायिक/न्यायिक कार्यवाही में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वीडियो का उपयोग करना चाहते हैं; और

5. उत्पीड़न, भेदभाव और यौन हिंसा या संघर्ष की जांच के मामलों में आंतरिक शिकायत समिति या महिला सेल के अध्यक्ष।

6. मूल्यांकन/जांच के लिए समिति के समक्ष किसी भी शिकायत के मामले में संस्थान अनुशासन समिति के अध्यक्ष।

7. छात्र अपने संकाय सलाहकार/पीआई की सिफारिश के साथ, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अपेक्षित प्रारूप पर फुटेज देखने के लिए सीएसओ से अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोधों के मूल्यांकन पर सीएसओ बिना कोई कारण बताए फुटेज दिखाने की अनुमति दे सकता है/मना कर सकता है।

8. छोटी वस्तुएँ जैसे छाता, पीने के पानी की बोतल, घड़ियाँ, ईयरबड, चाबियों के गुम/खो जाने के अनुरोध को अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.3.6 सीसीटीवी फीड को सीसीटीवी कंट्रोल रूम में डाउनलोड करके संरक्षित किया जाएगा, लेकिन फीड की प्रतियाँ किसी भी व्यक्ति को उनके रिकॉर्ड के उद्देश्य से वितरित नहीं की जाएंगी। आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए फुटेज का अनुरोध निम्नलिखित पदाधिकारियों से किया जा सकता है: -

a) केवल संस्थान स्तर की समितियाँ ही साक्ष्य उद्देश्यों के लिए सीएसओ/सुरक्षा दल के प्रमुख से फीड्स माँगने के लिए अधिकृत हैं।

b) विभिन्न विभागों की विभागीय स्तर की समितियाँ किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामले में साक्ष्य उद्देश्यों के लिए फीड्स के लिए सुरक्षा और संरक्षा समिति के संयोजक से अनुरोध कर सकती हैं।

c) छात्र/उनके माता-पिता या अभिभावक कानूनी या परिसर अनुशासन/अर्ध-न्यायिक/न्यायिक कार्यवाही में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रजिस्ट्रार से फुटेज का अनुरोध कर सकते हैं।

d) डीन किसी भी कर्मचारी/संकाय सदस्य के विरुद्ध किसी भी अनुशासनात्मक मामले के संबंध में फीड्स के लिए संस्थान के निदेशक से अनुरोध कर सकते हैं।

3.3.7 अनुच्छेद 3.3.5 और 3.3.6 के तहत रिकॉर्ड की गई छवियों को देखने के अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे जो स्पष्ट रूप से अनुरोध के कारण की पहचान करते हैं। वीडियो फुटेज देखने की अनुमति देने का अधिकार निम्नलिखित कर्मियों तक सीमित है:

1. संस्थान के रोल पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा दल का प्रमुख।

2. संस्थान सुरक्षा और सुरक्षा समिति के संयोजक,

3. संस्थान के रजिस्ट्रार, और

4. निदेशक

3.3.8 सभी व्यक्ति जिन्हें लाइव या रिकॉर्ड की गई छवियों तक पहुँच प्रदान की जाती है, उन्हें "सीसीटीवी नेटवर्क समझौते तक पहुँच" को पढ़ना और उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें कहा गया है कि वे सीसीटीवी प्रोटोकॉल का सम्मान करने और उसका पालन करने के लिए सहमत हैं। समझौते पर वार्षिक आधार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

3.4 जिम्मेदारियाँ

3.4.1 आईआईटी इंदौर सुरक्षा विभाग इस प्रोटोकॉल के अनुप्रयोग और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।

3.4.2 आईआईटी इंदौर सुरक्षा विभाग ऐसी प्रक्रियाएँ विकसित करेगा जो वीडियो निगरानी उपकरणों के अनुमोदन, स्थापना, संचालन और प्रबंधन को नियंत्रित करेगी, और ऐसे उपकरणों का उपयोग करने वाले संस्थान के कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण के लिए। प्रक्रियाएँ इस दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुरूप होंगी।

3.5 प्रोटोकॉल इतिहास

प्रभावी: अक्टूबर 2024

अस्वीकरण

किसी भी विवाद की स्थिति में केवल अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

Indian Institute of Technology Indore Closed Circuit Television (CCTV) Protocol

1. Purpose

IIT Indore Security Services employs closed circuit television (CCTV) cameras in public areas for the purposes of safety and security of the IIT Indore community and for the protection of the Institute property. The goal of this protocol is to outline how CCTV shall be used so that it complies with all existing laws and is consistent with its stated purpose.

2. Scope

The protocol set out in this document applies to all members of the IIT Indore Community, schools and centers of IIT Indore in the use of CCTV monitoring and recording.

Video monitoring for the following purposes is not subject to the provisions set for this document:

- I. where it is being used as part of the teaching or research responsibilities of a member of the academic staff of the Institute.
- II. where it is being used for video conferencing.

3. Protocol

3.1 Use of CCTV

3.1.1 IIT Indore Security Services administers the Institute's central security system, which includes the security camera network. As such, it is the only the Security department authorized to implement, oversee and coordinate the use of video recording for safety and security purposes. The procurement and installation of video cameras and monitoring equipment is strictly controlled, and all installations must be approved by the Convener of Institute Safety and Security Committee on behalf of the Committee.

3.1.2 IIT Indore Security Services utilizes closed circuit television (CCTV) to enhance personal safety, deter and help in investigation of crime, and protect Institute property. The use of CCTV will be conducted in manner compliant with all existing laws and consistent with the values of the Institute so as to minimize the intrusion of the privacy of faculty, staff, students, and visitors in their personal and professional activities. It will be used for legitimate safety and security purposes only, which include but are not limited to the following:

1. monitoring building perimeters, entrances and exits, lobbies and corridors and laboratories;
2. monitoring streets, sidewalks, parking lots, courtyards, and intersections;
3. monitoring restricted access transactions at entrances to buildings, corridors and other areas;
6. monitoring public areas using CCTV as a patrol technique;
7. reviewing recorded images as part of a criminal or security breach investigation; and
8. conducting surveillance for areas prone to on-going criminal activity.

3.1.3 Public area video monitoring will be conducted only in areas where the public does not have a reasonable expectation of privacy. Cameras will not be directed at private locations, such as residential apartment windows, shower rooms, toilet stalls or locker rooms.

3.1.4 Hidden or covert cameras will not to be installed unless there is a demonstrated need to collect evidence for a criminal investigation. Such installations will be authorized only by the Director for investigations.

3.1.5 In the interest of the confidentiality of documents and other information, the standalone CCTV Cameras can be installed by the senior Institute authorities viz. Director, Dy. Director, Deans, Registrar and Joint Registrar in their offices.

3.1.6 CCTV shall not be utilized to monitor employee, service provider, or student performance except where employee or student conduct constitutes criminal behaviour or negligent behaviour where it places others at risk.

3.1.7 Security department shall ensure that members of the Institute community are aware of the presence and purpose of CCTV systems through appropriate signage and information on the department's website.

3.1.8 The security cameras will be centralized placed by the security department for which various requirements will be taken from all the departments/centers etc. For requirements other than in such drive by the security department, the provisions of installations as per the agenda No. 17.3 of the 17th meeting of the committee of SSC shall be applicable, which reads as follows:

- i) It was discussed that CCTV Cameras are required for the laboratories which have the operation of machines/equipment by multiple students to check any misuse etc., it was agreed that the CCTV Cameras may be allowed to be installed inside such laboratories with justification from the faculty lab in-charge, recommendations of Conveners of the departmental safety committee and Head of Department. After discussion, the Institute safety and security committee (SSC) authorized the Convener of the Institute Safety committee to approve the proposals on behalf of the committee with a provision that such permissions would be discussed in the next meeting of SSC. The cost of such CCTV, cables, switches and NVR with storage would be borne by the department/project, and live feeds will be made available to the central control room of CCTV at the hub building. The faculty/staff of the laboratory will not be given access in the laboratory or outside the Institute premises. The feed will be provided only on need requirement by concerned faculty in-charge on approval by the Convener of safety and security committee.

3.2 CCTV Monitoring

3.2.1 The monitoring of CCTV systems by Security team shall be conducted in a professional, ethical, and legal manner, and in accordance with all Institute policies, including the Policy on Harassment and Discrimination and the Policy against Sexual Violence.

3.2.2 Personnel involved in video monitoring shall be appropriately trained and continuously supervised in the responsible use of this technology.

3.2.3 Personnel who monitor cameras must receive a copy of this document and the procedures developed under it and provide written acknowledgement that they have read and understood their contents.

3.2.4 Personnel who monitor cameras shall not use, alter or distribute privileged information accessed, acquired or used in carrying out tasks in ways that are not directly connected with their work responsibilities.

3.2.5 Violations of the established procedures for video monitoring referenced in this document will result in disciplinary action.

3.2.6 Where appropriate, Security department may award live viewing rights to other Institute officials where it serves to enhance the safety and security of the local area. These individuals will be subject to the same standards of training and conduct as Security Services personnel. Violations of the established procedures for video monitoring referenced in this document will result in having their viewing rights revoked.

3.3 Use and Distribution of Recorded feeds

3.3.1 The CCTV Operators/supervisors of the Security department are responsible for ensuring that access to recorded footage is severely restricted and the secure storage of data. Recorded footage will be kept for a limited period of time (usually forty-five days only).

3.3.2 The use of recorded images to conduct investigations of possible misconduct or illegal activity is limited to CCTV operators/supervisors or Investigating Officer of Police or his representative.

3.3.3 IT infrastructure & Information personnel are permitted to view recorded images only for the purposes of repair and maintenance to the CCTV network in special cases, in normal situations the repair and maintenance will be carried out by the technical team of the security department.

3.3.4 Security department will provide information, including any surveillance camera recordings to the police or other law enforcement agencies as required for the purpose of investigation of an offence, CSO is authorized in this regard to give access to the footage. Necessary information to the Registrar, Safety and Security Committee, Dean of administration and Director of the Institute to be given by the CSO about handing over of such feeds to the police officer/I.O. or his representative.

3.3.5 Members of the IITI community and representatives of outside agencies, such as the vendors or other agencies on the campus, may request to review recorded footage. These requests will be approved on a case-by-case basis. Situations where feeds may be provided, some of the situations include, but are not limited to:

1. Any student related disciplinary case at the departmental level;
2. In the cases of employee discipline or arbitration hearings for the risk management or Legal Services to defend against claims and lawsuits;
3. Employees, students or their parents/guardians wishing to use video to prove their innocence in legal or campus discipline/semi-judicial/judicial proceedings; and
5. The Chairperson of the Internal Complaints Committee or the Women Cell in the cases of investigations of harassment, discrimination, and sexual violence or conflicts.
6. The Chairperson of the Institute Disciplinary Committee in case of any complaint before the committee for evaluation/investigation.
7. Students may request CSO to view the footage on the requisite format made out for the purpose, with recommendation of their faculty advisor/PI. On evaluation of such requests CSO may permit/refuse to show the footage without assigning any reason(s) thereof.
8. Requests for viewing of missing/loss of petty items like umbrella, drinking water bottle, watches, earbuds, keys will not be allowed.

3.3.6 The CCTV feeds will be downloaded and preserved with the CCTV Control room but the copies of the feeds will not be distributed to any individual for their records purpose. The request for the

footage for the official needs may be made to the following functionaries may: -

- a) Only the Institute level committees are authorized to call for the feeds from the CSO/head of the security team for the evidence purposes.
- b) The departmental level committees of various departments may request the Convener of the Safety and security committee for the feeds if required by them for the evidence purposes in any of the disciplinary case against any student.
- c) The students/their parents or the guardian may request the Registrar for footage for proving their innocence in legal or campus discipline/semi-judicial/judicial proceedings
- d) Deans may request Director of the Institute for the feeds if required by them in connection with any disciplinary case against any staff/faculty member.

3.3.7 Requests to view recorded images under Articles 3.3.5 and 3.3.6 will be submitted in writing that clearly identifies the reason for the request. Authorization to permit to view the video footage thereof is restricted to the following personnel:

1. The Chief Security Officer or head of the security team borne on the roll of the Institute.
2. The Convener of the Institute Safety and Security Committee,
3. The Registrar of the Institute, and
4. The Director

3.3.8 All individuals who are granted access to live or recorded images must have read and signed the "Access to the CCTV Network agreement" stating they agree to respect and abide by the CCTV Protocol. The agreement will need to be signed on an annual basis.

3.4 Responsibilities

3.4.1 IIT Indore Security department shall be responsible for the application and administration of this protocol.

3.4.2 IIT Indore Security department shall develop procedures that will govern the approval, installation, operation and management of video monitoring equipment, and for the proper training of the Institute staff using such equipment. The procedures shall be consistent with the provisions of this document.

3.5 Protocol History

Effective: October 2024

Disclosure

In case of any dispute only the English version will be referred.